194

न्यायालय : राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्रं0 : / R 3280-III/14

कौशल किशोर, अखिलेश, अखण्ड प्रताप
पुत्रगण श्री जय प्रकाश तिवारी, आयु क्रमशः
42, 35, 28 वर्ष, व्यवसाय कृषि,
निवासीगण - ग्राम खरा, हाल पलेरा,
तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म0 प्र0) ।

- आवेदकगण

दिनांक 26-9-14 को श्री रामसेवक शर्मा अभि0 द्वारा प्रस्तुत। 26-9-14 SO

विरुद्ध

आशाराम (मृतक) द्वारा वैध वारिसान -
1- श्रीमती पूना बाई बेवा श्री आशाराम,
2- नन्दू तनय आशाराम,
आयु क्रमशः 50 एवं 30 वर्ष, जाति कुशवाह,
धंधा खेती, निवासी ग्राम टोरिया, तहसील
पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म0 प्र0) ।
3- म0 प्र0 शासन जरिये मौजा पटवारी
ग्राम टोरिया, हल्का नं0 22, तहसील पलेरा,
जिला टीकमगढ़ (म0 प्र0) ।

- अनावेदकगण

"निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (क) म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 08-04-2009 द्वारा पारित न्यायालय
तहसीलदार, पलेरा प्रकरण क्रं0 12/अ-3/08-09 के निर्णय से
दुःखी होकर" ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, सर्वे क्रमांक 27/11 रकबा 2;308 हैक्टेयर स्थित ग्राम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3280/तीन/2014 जिला टीकमगढ़ कौशल विरूद्ध आशाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 12/अ-3/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2009 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-09-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य